

कृषि वित्त: किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के विशेष सन्दर्भ में

डॉ. शकुन्तला मीना*

सार

भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। और किसान भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे अहम हिस्सा है जहां की किसानों की स्थिति अच्छी नहीं है, कृषि एक ऐसा व्यवसाय है। जिसमें पूँजी की निर्णायक भूमिका होती है, कृषि क्षेत्र में तकनीकी ज्ञान के प्रसार, उन्नत किस्म के बीजों के अविष्कार, उर्वरक एवं कीटनाशक दवाइयों के अधिक प्रयोग, कृषि यन्त्रीकरण व सिंचाई के लिए विद्युत के उपयोग के लिए कृषि में पूँजी की आवश्यकता पहले से अधिक होती जा रही हैं। किसानों के जीवन स्तर को ऊँचा करने, गरीबी दूर करने के लिए व उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत एन.डी.ए सरकार द्वारा अगस्त 1998 में फसलों के मौसम के दौरान किसानों को अल्पकालीन ऋण की जरूरत को पूरा करने के उद्देश्य से की गई। किसानों को सरकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक व वाणिज्य बैंक सभी के द्वारा (KCC) की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है इसमें बैंक खाता खुलवाना पड़ता है। बैंक पास बुक व एटीएम किसान को रिजर्व बैंक के नियमानुसार सभी कार्यवाही पूरी हाने के बाद देते हैं कृषक के खाते में पैसे जमा कर देते हैं वह आवश्यकतानुसार किस्तों में रूपया निकाल सकते हैं। इसमें ब्याज निकाली गई राशी पर ही लगाया जाता है। ब्याज दर 4 से 6 प्रतिशत के लगभग है भूमि के कागज गिरवी रखकर उसकी आवश्यकतानुसार एक लाख से तीन लाख तक के ऋण दिये जाते हैं। ये ऋण वर्ष के अन्त में चुकाने पड़ते हैं। जिससे किसान फसल आने पर आसानी से चुका देता है। KCC योजना के अन्तर्गत किसान को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर भी प्रदान किया जाता है। मृत्यु पर 50,000/- विकलांगता पर 25,000/- इस योजना के अन्तर्गत 70 वर्ष का कवर प्रदान किया जाता है KCC से किसान को समय पर पैसा मिलता जिससे फसल अच्छी होती है कृषक की आय में वृद्धि होती है। तो वह महाजन, साहूकार व सेठों के चंगुल में नहीं फसते हैं। किसानों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई व समाज में प्रतिष्ठा बढ़ी है क्योंकि देश का किसान खुशहाल है तो भारत देश भी खुशहाल होगा।

शब्दकोश: यन्त्रीकरण, उर्वरक, पूँजी, अल्पकालीन व अर्थव्यवस्था।

प्रस्तावना

भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहां पर आजीविका का मुख्य साधन कृषि है, जहां की किसानों की स्थिति अच्छी नहीं है। कृषि क्षेत्र में पूँजी की निर्णायक भूमिका होती है। कृषि क्षेत्र में तकनीकी ज्ञान के प्रसार, बीज, खाद, उर्वरक खरीदने के लिए, कृषि व्यय, पशुओं, औजारों, कच्चा माल खरीदने, नयी भूमि खरीदने के लिए, भूमि में सुधार करने के लिए, हल व बैल खरीदने, कृषि का यन्त्रीकरण करने, नाली व वृक्षारोपण के लिए,

* सहायक आचार्य ई.ए.एफ.एम., महारानी श्री जया महाविद्यालय, भरतपुर, राजस्थान।

पुराना कर्जा चुकाने के लिए, सिचाई सुविधाओं, आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए वित्त की आवश्यकता पड़ती है अर्थात् कृषि वित्त का आशय निवेश किये जाने वाले धन की उस राशि से है जो खेतों में उत्पादकता वृद्धि व कृषकों की दक्षता वृद्धि करने में सहायक होते हैं। को सम्मिलित किया जाता है।

सर फैंडरिग निकल्सन के अनुसार

किसानों के लिए ऋण लेना अनिवार्य है। उधार लेना न तो आपत्तिजनक है और न दुर्बलता का घोटक है। परन्तु यदि इस ऋण का दुरुपयोग किया जाये तो ऋणग्रस्तता का घोटक बन जाती है। किसानों की ऋण की आवश्यकताओं को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है। अल्पकालीन ऋण:— एक वर्ष से 15 माह तक अवधि के लिए बीज, खाद, मजदूरी, औजार, जोत आदी के लिए दिये जाते हैं। मध्यकालीन ऋण:— 2 वर्ष से 5 वर्ष की अवधि के लिए पशु खरीदने, पम्प लगवाने, भूमि सुधार औजार खरीदने के लिए इत्यादि। दीर्घकालीन ऋण:— की अवधि 5 वर्ष से 20 वर्ष तक लम्बी अवधि वाले ऋण आते हैं। कुंआ खुदवाने, गोदाम बनवाने, नई भूमि खरीदने, पुराने ऋणों का भुगतान करने, स्थायी नालियाँ बनवाने गौशाला का निर्माण करवाने टेक्टर खरीदने आदि के लिए किसान को ऋणों की आवश्यकता पड़ती है। किसान इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तीन प्रकार के स्रोतों से ऋण लेता है।

- **परम्परागत स्रोत:** साहूकार, महाजन, आढ़तिया, व्यापारी, मित्र, सम्बन्धी, एजेन्ट, देशी बैंक से उधार लेते हैं।
- **सरकार:** कृषि साख की व्यवस्था राज्य सरकार व केन्द्रीय सरकार भी करती हैं। राज्य द्वारा कृषि भूमिसुधार अधिनियम 1883 तथा कृषक ऋण अधिनियम 1884 के अन्तर्गत तकावी (ऋण) अकाल व बाढ़ आदि से उत्पन्न स्थिति में सहायता देने के लिए किया था लेकिन अब यह नियमित कार्य हो गया है।
- **संस्थागत स्रोत:** कृषि वित्त के संस्थागत स्रोत में सहकारी बैंक जिनको अपनी जमाओं का 60 प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्र की गति विधियों को व 25 प्रतिशत कमजोर वर्गों को देना होता है। ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक कृषि सारवा समितिया, जिला स्तर पर केन्द्रीय सहकारी बैंक व राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक यह बैंक राज्य की समस्त सहकारी साख संस्थाओ का नियंत्रण एवं निर्देशन करता है। व्यापारिक बैंक, भूमिविकास बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने 2013-14 में 82700 करोड़ का कृषि वित्त दिया इसके उपरान्त भी देश में कृषि एक ग्रामिण विकास के लिए रिजर्व बैंक ने एक अलग शीर्ष संस्थान की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी बैंक सहकारी समितियों, व्यापारिक बैंकों क्षेत्रीय ग्रामिण बैंकों के अल्पकालीन ऋणों की पुर्नवति व्यवस्था करता है।

किसानों को कृषि ऋण उपलब्ध करवाने के लिए एक अलग से योजना की आवश्यकता महसूस की जो किसानों की पहुँच में हो समय पर ऋण मिल सके व आसानी से चुकाया भी जा सके। इसके लिए अगस्त 1998 में किसानों को अल्पकालीन साख प्रदान के लिए एक अभिनव योजना शुरू की गयी उसका नाम किसान क्रेडिट कार्ड रखा गया। किसान क्रेडिट कार्ड प्रत्येक किसान बनवा सकता है। जिसके नाम जमीन इसके लिए लीड बैंको को जिलों के हिसाब से गांवों की जिम्मेदारी दी गयी है। इसके अर्नात अल्पकालिन ऋण दिया जाता है। इसमें पास बुक, चैक बुक, एटीएम कार्ड, की सुविधा है। किसान क्रेडिट कार्ड तीन वर्षों के लिए दिया जाता है लेकिन प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण कराना आवश्यक है। किसान क्रेडिट कार्ड रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के अनुसार दिया जाता है जिससे किसानों को कृषि की आवश्यकताओं पूर्ति के लिए उसे 4 से 6 प्रतिशत लगभग ब्याज दर पर लोन आसानी से उपलब्ध हो जाता है। किसान इसे फसल बिक्री कर आसानी से चुका सकता है। सेट,साहूकार,एजेन्टों के चंगुल से बचे रहते हैं। ये योजना किसानों व बैंको दोनों में लोकप्रिय हो रही है। किसान क्रेडिट कार्ड धारको को दुर्घटना से मृत्यू होने पर 50000रु, स्थायी अशक्तता की स्थिति में 25000रु का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा का कवर प्रदान किया जाता है।

विभिन्न बैंकों द्वारा जारी किये गए किसान क्रेडिट कार्ड

(लाखों में)

वर्ष	कोऑपरेटिव बैंक	आर. आर. बी.	व्यापारिक बैंक	कुल योग
1998-1999	1.55	0.06	4.45	6.06
1999-2000	35.95	1.73	13.66	51.34
2000-2001	56.14	6.48	23.90	86.52
2001-2002	54.36	8.33	30.71	93.41
2002-2003	45.79	9.64	27.00	82.43
2003-2004	48.78	12.75	30.94	92.47
2004-2005	35.56	17.29	43.95	96.80
2005-2006	25.98	12.49	41.65	80.12
2006-2007	22.97	14.06	48.08	85.11
2007-2008	20.91	17.73	46.06	84.70
2008-2009	13.44	14.15	58.34	85.93
2009-2010	17.43	19.50	53.13	90.06
2010-2011	28.12	17.74	55.83	101.69
2011-2012	29.59	19.96	68.03	117.58

NABARD Economic survey 2012-2013 & Different issues-

किसान क्रेडिट कार्ड सहकारी बैंकों क्षेत्रीय बैंकों, व व्यापारिक बैंकों द्वारा जारी किये जाते हैं। तालिका 1998-99 में 6.06 लाख कार्ड जारी किये जो 2009-2010 में कुल 90.06 लाख व 2011-12 में 117.58 लाख कार्ड जारी किये 2020 में केन्द्र सरकार ने 2.5 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने का लक्ष्य रखा। जिसमें 1.82 करोड़ किसानों को KCC जारी किये। ये आंकड़े देश में किसानों में किसान क्रेडिट कार्ड की लोकप्रियता व किसानों की व्यापक स्वीकार्यता को दर्शाते हैं।

निष्कर्ष

कृषि वित्त के क्षेत्र में किसान क्रेडिट कार्ड का उदय एक अत्यन्त ही अनूठा प्रयास है। यदि इस सुविधा का किसानों द्वारा सतर्कतापूर्वक उपयोग किया जाए तो उनकी वित्त की अनेक आवश्यकताओं को स्वतः निर्बाध पूर्ति हो जाएगी। इससे किसानों में फिजूल खर्ची पर भी रोक लगेगी व अवांछित ब्याज से भी सुरक्षा प्राप्त होगी। देश किसान समृद्धिशाली व आर्थिक रूप से मजबूत होगा तो देश की अर्थव्यवस्था भी निश्चित ही मजबूत होगी। किसान क्रेडिट कार्ड भारत किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने में अपनी विशेष भूमिका निभाई है व निभा रहा है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. कृषि अर्थशास्त्र डॉ.आर.के.गोविल डॉ.एस.दयाल प्रकाशक लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा 2013-2014 पृष्ठ संख्या 141 से 152.
2. भारत में आर्थिक पर्यावरण:- प्रो.डी.आर.जाट, डॉ.वी.के. वशिष्ठ, डॉ. पी.सी. सिन्हा प्रकाशक अजमेर बुक कम्पनी अजमेर 2011-12 पृष्ठ संख्या 14.15 से 14.20.
3. भारतीय अर्थव्यवस्था:- डॉ.एल.एन. कोली प्रकाशक:- लक्ष्मी नारायण अग्रवाल आगरा पृष्ठ संख्या 238 से 240.
4. भारत में आर्थिक पर्यावरण:- डॉ.बी.पी.गुप्ता, डॉ.एच.आर. स्वामी प्रकाशक आर.बी.डी.पब्लिशिंग हाऊस जयपुर 2019 पृष्ठ संख्या 16.1 से 16.18.
5. कृषि अर्थशास्त्र: डॉ.रीता माथुर पंचशील प्रकाशन, जयपुर 2013 पृष्ठ संख्या 181 से 183.
6. भारतीय अर्थव्यवस्था: डॉ.एस.के.मिश्र, वी.के.पुरी हिमालया पब्लिशिंग हाऊस दिल्ली संस्करण 2010 पृष्ठ संख्या 315 से 318 व 326-327.
7. भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था: प्रो.बी.पी. गुप्ता, डॉ.वी.के. वशिष्ठ, डॉ.रांगिनी शर्मा, आर.बी.डी. पब्लिशिंग हाऊस जयपुर नई दिल्ली संस्करण 2019-20 पृष्ठ संख्या 5.1 से 5.7.
8. भारत में कृषि वित्त नाबार्ड की भूमिका डॉ.के. राजकुमार प्रभाकर, जैन बुक एजेन्सी 2008.
9. कृषि वित्त: डॉ.के.शिवाजी एपीएच पब्लिशिंग कारपोरेशन नई दिल्ली 2007.
10. राजस्थान पत्रिका

